

अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 45-MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	228,30,00	228,31,00	172,18,67	-56,12,33
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				56,10,11
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत-	Voted-		30,00,00	17,64,57	-12,35,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12,35,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

	शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"		Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं		Secretariat - Economic Services			
मू.		O.	1298.00	1184.48	1182.52
पु.		R.	-113.52		
मुख्य शीर्ष "2405"		Major Head "2405"			
मछली पालन		Fisheries			
मू.		O.	8980.00	1479.00	1479.00
पु.		R.	-7501.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"			
खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	Food, Storage and Warehousing			
मू.	O.	10217.00		
पू.	S.	1.00	14557.41	14557.15
पु.	R.	4339.41		-0.26
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	2200.00
पु.	R.	-2200.00
(I) 2335.00 लाख रु. का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2000.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-			(I) Provision of Rs.2335.00 lakhs remained wholly unutilised under sixteen heads; of these Rs.2000.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads:-	
(का) "मछली पालन - समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" - 1000.00 लाख रु. व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।			(A) "Fisheries - Marine Fisheries - Deep Sea Fishing Operations" - Rs.1000.00 lakhs – due to non-receipt of viable proposals.	
(खा) "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" -			(B) "Food - Food Processing" -	
(क) "बागवानी आधारित उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम" - 800.00 लाख रु.; और			(a) "Horticulture based Industries - Scheme for Technology Upgradation, Establishment, Modernisation of Food Processing Industries" - Rs.800.00 lakhs; and	
(ख) "दुग्ध आधारित उद्योग - गुणवत्ता आश्वासन, कूट मानक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अनुसंधान एवं विकास स्कीम" - 200.00 लाख रु.।			(b) "Milk based Industries - Scheme for Quality Assurance, Codex Standards and Research and Development for Food Processing Industries" - Rs.200.00 lakhs.	
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक			Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on	

शीर्षों को किए जाने और शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" के अंतर्गत 117.08 लाख रु. की बचत (893.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2405" - "समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" के अंतर्गत 7501.00 लाख रु. की बचत (8980.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति से नई स्कीम को अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग - मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम" के अंतर्गत 453.92 लाख रु. की बचत (875.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्यमियों/संस्थाओं/संगठनों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4880.18 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "बागवानी आधारित उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम" - 4746.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4746.01 लाख रु. था।

(खा) "दुग्ध आधारित उद्योग - गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास स्कीम" - 134.18 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 132.86 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Food Processing Industries" - saving of Rs.117.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.893.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head "2405" - "Marine Fisheries - Deep Sea Fishing Operations" - saving of Rs.7501.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8980.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of the new scheme from the Ministry of Finance and Cabinet Committee on Economic Affairs.

(IV) Under Major Head "2408" - "Food - Food Processing - Horticulture Based Industries - Scheme for Human Resources Development" - saving of Rs.453.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.875.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from entrepreneurs/institutions/organisations.

2. The above savings were partly (Rs.4880.18 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head "2408" - "Food - Food Processing" - under the following heads:-

(A) "Horticulture Based Industries - Scheme for Technology Upgradation, Establishment, Modernization of Food Processing Industries" - Rs.4746.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4746.01 lakhs.

(B) "Milk Based Industries - Scheme for Quality Assurance, Codex Standards and Research and Development for Food Processing Industries" - Rs.134.18 lakhs. Actual excess, however, was Rs.132.86 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4408"	Major Head "4408"			
खाद्य, भंडारण एवं भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing			
मू.	O.	2700.00	1765.00	1764.57
पु.	R.	-935.00		
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	300.00
पु.	R.	-300.00
(I)	300.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग - राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना" के अंतर्गत एक मामले में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।		(I) Provision of Rs.300.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Food - Food Processing - Horticulture Based Industries - Setting up of National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management" - due to non-receipt of viable proposals.	
(II)	मुख्य शीर्ष "4408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग - मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम" के अंतर्गत 935.43 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के निर्माण में विलंब होने के कारण हुई।		(II) Under Major Head "4408" - "Food - Food Processing - Horticulture Based Industries - Scheme for Human Resources Development" - saving of Rs.935.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to delay in construction of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management.	